न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –114 / 2020(2020 / 00155)

अनवान : –

मनीश कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रणवीर सिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. समेस्ता पुत्री रणवीर जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री बलवन्त सिंह वादी
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 04/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 130 / 129 के मुरब्बा न0 36 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 21 ता 24, मु0 न0 37 के किला न0 25, मु0 न0 41 के किला न0 2, 3, 4, 7 ता 9 इस प्रकार कुल किता 19 की कुल 4.428 हैक्टैयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा चुनी की खातेदारी हुआ करती थी। चुनी से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी रणवीर सिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रणवीर सिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह को वादी के दादा चुनी से विरासतन प्राप्त हुई है। चालू जमाबन्दी चक 3 एमएसआर सम्वत 2065–68 के खाता [illegible] है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] को जरिये सम्मन [illegible] किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी [illegible]0 1 व 2 ने आपसी [illegible] से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी मनीष कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 एमएसआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 130/129 प्रदर्श 1, जमाबनदी चक 3 एमएसआर सम्वत 2065–68 खाता संख्या 36/97 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत भरवाना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 130/129 के मुरब्बा न0 36 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 21 ता 24, मु0 न0 37 के किला न0 25, मु0 न0 41 के किला न0 2, 3, 4, 7 ता 9 इस प्रकार कुल किता 19 की कुल 4.428 हैक्टैयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 130/129 के मुरब्बा न0 36 के किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 21 ता 24, मु0 न0 37 के किला न0 25, मु0 न0 41 के किला न0 2, 3, 4, 7 ता 9 इस प्रकार कुल किता 19 की कुल 4.428 हैक्टैयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी मनीश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना [illegible] डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04/02/2021 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़